

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम निम्बाहेडा
चांदी बाई पत्नी घमण्डी राम मेघवाल बनाम तहसीलदार निम्बाहेडा
किरम मुकदमा प्रार्थना पत्र मु.न. 150 सन् 2024

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म
2024	<p>प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थीगण व पेरोकार सरकार उपस्थित। पक्षकारान की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण की बहस में प्रकट तथ्यों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं। तहसीलदार निम्बाहेडा को 500/-रु फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता हैं कि प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण की भूमि से लगे हुये सभी पड़ोसी खातेदारों को सूचना-पत्र जारी करते हुये, उनकी उपस्थिति में, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में तथा किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर, प्रार्थी की खातेदारी आराजियात वाके मौजा कृपाराम जी की खेड़ी पटवार हल्का अरनिया जोशी तहसील निम्बाहेडा की खाता संख्या 70 की आराजी नंबर 330 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, आराजी नंबर 332 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, आराजी नंबर 380 रकबा 0.0900 हैक्टेयर, आराजी नंबर 382 रकबा 0.4300 हैक्टेयर, आराजी नंबर 383 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, आराजी नंबर 384 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, आराजी नंबर 644 रकबा 0.1500 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 0.9200 हैक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर नियमानुसार पत्थरगढ़ी करें। फीस कमिश्नर प्रार्थी से वसूल की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना रिपोर्ट 15 दिवस में पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा